न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2100-I/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–6–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 64/2011–12/निगरानी ।

रामवती पुत्री शिवचरण
निवासी ग्राम पिपरई मौजा विजयगढ़
तहसील पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–श्यामवती पुत्री शिवचरन पत्नी श्री भगवान
निवासी ग्राम पिपरई मौजा विजयगढ़ तहसील पोरसा
जिला मुरैना म0प्र0
2–संजीवकुमार पुत्र श्री भगवान
3–राजकुमार पुत्र श्री भगवान
4–रामकुमार पुत्र श्री भगवान

..... अनावेदकगण

श्री एस.पी.धाकड़, अभिभाषक आवेदिका
श्री आर0पी0पालीवाल, अनावेदकगण

:: आदेश ::

(आज दिनांक 12/6/14 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर जिला मुरैना प्रकरण क्रमांक 64/2011–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08–06–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा विजयगढ़ स्थित कृषि भूमि खाता कमांक 477 एवं खाता कमांक 132 का तहसील न्यायालय पोरसा के प्रकरण कमांक 56/2007–08/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 24–08–2008 से विधिवत् समस्त प्रकियाओं का पालन करते हुये बटवारा आदेश जारी किया । जिसका अमल पटवारी अभिलेख में होकर उभयपक्ष अपनी अपनी भूमियों पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं जिसकी जानकारी अनावेदकगण को शुरू से रही है । अनावेदकगण के मन में वदयान्ती आ जाने के कारण आदेश के एक वर्ष पश्चात् बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 5 अवधि विधान के आवेदन को स्वीकार करते हुये उक्त अपील समय सीमा में मान्य कर ली। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–6–12 से अस्वीकार हुई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश 8–6–12 से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अवधि विधान के बिन्दु के संबंध में विलम्ब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण देना चाहिये किन्तु अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण न दिये जाने से आवेदन प्रथमदृष्टया निरस्ती योग्य था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिन्दु पर विचार नहीं किया कि अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पर्याप्त कारण न देने से तथा स्पष्ट आवेदन न होने से वह किसी भी प्रकार की सहायता करने के अधिकारी नहीं थे फिर भी आवेदन स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधानिकता की । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अत्यन्त संक्षिप्त प्रकार का आदेश है अवधि के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या न करते हुये आदेश पारित किया है जिसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह बताया कि अनावेदकगण को तामील जारी नहीं की गई और ना ही पक्षकार बनाया गया । पटवारी द्वारा फर्द बटवारा

प्रस्तुत कर दिया गया । विचारण न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही की गई है, जानकारी के अभाव में अनावेदकगण को प्रकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षमा करने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से अधीनस्थ अपीलीय एवं निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया है ।

5– उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेशों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया । विचारण न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अनावेदक को आहूत करने अथवा सुनवाई का अवसर देने का कोई प्रयास नहीं किया जबकि भू–अभिलेख में वह सहखातेदार थी तथा वारिस भी थी । ऐसी स्थिति में उसकी अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने समयावधि में स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है । आवेदक यह प्रमाणित नहीं कर पाया है कि अनावेदक को पहले सूचना दी गई थी । आवेदक को अनावेदक को विचारण न्यायालय में पक्षकार बनाना था जो उसने नहीं किया । ऐसी स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.